बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग

हरित बजट
2020-21

बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग

हरित बजट
2020-21

प्राक्कथन

सतत् विकास के निर्धारित लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) को अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में ह्रास और पर्यावरण के क्षरण के खतरों से निपटने हेतु सरकार के स्तर पर योजना निर्माण, सशक्त नीति, व्यवस्थित दृष्टिकोण एवं पर्याप्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है। ये सभी चीजें पर्यावरण सरंक्षण हेतु आवश्यक हैं, परन्तु इनमें से कोई अवयव स्वयं में पर्याप्त नहीं है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संधारणीयता को केंद्र में रखते हुए इसके सभी हितधारकों के साथ संवाद किया जाना आवश्यक है साथ ही मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है।

हरित बजट निर्माण करते समय राज्य सरकार के तहत संचालित उन सभी योजनाओं एवं गतिविधियों की पहचान की गयी है जो बिहार में पर्यावरण की संधारणीयता को बनाये रखने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। साथ ही इन योजनाओं के तहत व्यय हेतु प्रावधानित राशि की पहचान की गई है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया **'हरित बजट' (Green Budget)** एक नयी तरह की शुरूआत है। इस ग्रीन बजट में पर्यावरणीय संधारणीयता प्रदान करने हेतु जिन पहलुओं को शामिल किया गया है, मुख्य रूप से – जलवायु परिवर्तन में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, प्रदूषण में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता, जमीन का संधारणीय उपभोग, हरित अधिसंरचना का विकास, उचित उपभोग और हरित अर्थव्यवस्था इत्यादि हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य सुदृढ़ योजना निर्माण, अनुश्रवण, विभागों के बीच समन्वय और नीतिगत संसक्ति के जरिए पर्यावरण की संधरणीयता को आगे लाना है। इससे राज्य में विकासमूलक योजना निर्माण और बजट निर्माण में पर्यावरण की संधारणीयता मुख्य धारा में आ सकेगी।

कोविड–19 महामारी के कारण एक तरफ जहां आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने एवं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील रही है, वही इस महामारी के समय में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार प्रयत्नशील रही है।

राज्य सरकार द्वारा अगले पाँच वर्षों (2020–2025) के लिए आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत सात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण सरंक्षण हेतु गांवों एवं शहरों को स्वच्छ बनाने संबंधी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैं आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्षों में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों से इस दस्तावेज को और बेहतर एवं आम लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा।

•••

बिहार में हरित बजट

1. परिचय

सतत विकास लक्ष्यों को अपेक्षानुरूप प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में ह्रास एवं अन्य पर्यावरणीय क्षरण से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई, समुचित दृष्टिकोण, जन–सहभागिता तथा प्रभावी बजट की आवश्यकता है। उक्त सारी चीजें इस संदर्भ में आवश्यक हैं, परन्तु प्रभावी और टिकाऊ परिवर्तन हेतु इनमें से कोई भी अवयव स्वयं में पर्याप्त नहीं है। इसलिए बहु–हितधारकीय व्यवस्था अंतर्गत पर्यावरणीय संधारणीयता के संदर्भ में मानसिकता एवं संवाद में बदलाव की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बजट निर्माण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सभी विभाग इस प्रक्रिया में नियमित भागीदार होते हैं। हरित बजट पुस्तिका के माध्यम से पर्यावरणीय परिणामों के संदर्भ में सार्वजनिक नीतियों पर रचनात्मक बहस को बल मिलेगा। हरित बजट के निर्माण के फलस्वरूप विभागीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी विचार उत्पन्न होंगे एवं मौजूदा राजकोषीय सीमा के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर रूप से किया जा सकेगा। (PSCST-TERI 2014)

सरकार द्वारा किया जानेवाला व्यय सरकारी कार्य प्रणाली (पर्यावरणीय सकारात्मक/नकारात्मक) का सूचक होता है। नीति निर्माताओं के लिए बजट पर्यावरणीय संधारणीय लक्ष्य प्राप्ति का प्रभावी साधन बन सकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के वस्तुगत मूल्यांकन हेतु सरकार का बजट एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय के अतिरिक्त राजकोषीय नीति (कर, गैर कर, सब्सिडी) द्वारा नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं को पर्यावरणीय लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वीकार किया जाना भी हरित कार्य (Green Action) का एक उदाहरण है।

सतत विकास हेतु ग्रीन बजट निर्माण की भूमिका को विश्वस्तरीय संगठनों द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। सतत विकास के 17 लक्ष्यों में लक्ष्य संख्या 17.14 का ध्येय (Target)– ''सतत विकास हेतु नीति में सुधार'' तथा वृहत आर्थिक नीति में सतत विकास परिणामों को मुख्य धारा में लाने का समर्थन करता है। वर्ष 2017 में आयोजित "One Planet Summit" में OECD के महासचिव द्वारा विभिन्न सरकारों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर राष्ट्रीय बजटीय रूपरेखा हेतु ग्रीन बजट पर Paris Collabrative का गठन किया गया।[1]

ग्रीन बजट के संदर्भ में गठित Paris Collabrative **के महत्वपूर्ण निर्णय निम्न थे :**

i. ग्रीन बजट निर्माण पर प्रारंभिक पुस्तिका (Primer) का प्रकाशन,

ii. वार्षिक बजट के साथ एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन के रूप में ''ग्रीन बजट विवरण'' प्रस्तुत किया जाय, जिसमें सक्षिप्त रूप से यह जानकारी हो कि किस प्रकार से बजट के माध्यम से पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

भारत में ग्रीन बजट की अवधारणा, स्वीकार्यता, एवं क्रियान्वयन अभी शैशवावस्था में है। वर्तमान में मात्र पंजाब[2] एवं कर्नाटक[3] ही दो ऐसे राज्य हैं, जहाँ ग्रीन बजट निर्माण के संबंध में प्रारंभिक कार्य किए गए है। परंतु वास्तव में इसके कार्यान्वयन एवं व्यापक ग्रीन बजट प्रतिवेदन तैयार किए जाने पर काफी कुछ किया जाना अभी शेष है।

2. ग्रीन बजट निर्माण की परिभाषा, उद्देश्य, और रूपरेखा

ग्रीन बजट निर्माण का उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करने से है, जिसके माध्यम से राजकोषीय एवं

आर्थिक नीतिगत सुधारों को पर्यावरणीय संधारणीयता के दृष्टिकोण से परीक्षण, चिन्हित एवं मैपिंग किया जा सके। ग्रीन बजट का निर्माण नीति निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों को पर्यावरण संबंधी नीति एवं बजट बनाने में सहयोग प्रदान करेगी। बिहार में ग्रीन बजट दस्तावेज जेंडर बजट और बाल बजट निर्माण से प्रेरित है। ग्रीन बजट निर्माण की रूपरेखा नीचे के चित्र–1 में की गई है। हरित बजट निर्माण के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

उद्देश्य 1. पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए अंतर्विभागीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण,

उद्देश्य 2. राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण की संधारणीयता के अनुकूल नीति निर्माण को बढ़ावा,

उद्देश्य 3. विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन,

उद्देश्य 4. सतत विकास एवं अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों हेतु संसाधनों का वितरण एवं अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने की योजना बनाना,

चूंकि भारत एवं अन्य देशों में ग्रीन बजट निर्माण की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अतएव बिहार राज्य के शुरूआती ग्रीन बजट का लक्ष्य प्रथम दो उद्देश्यों पर केंद्रित होगा। जैसे– जैसे प्रक्रियात्मक विकास होगा, उसी प्रकार ग्रीन बजट के मानक कार्य संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं ग्रीन बजट में अन्य उद्देश्य भी शामिल किए जाएगें।

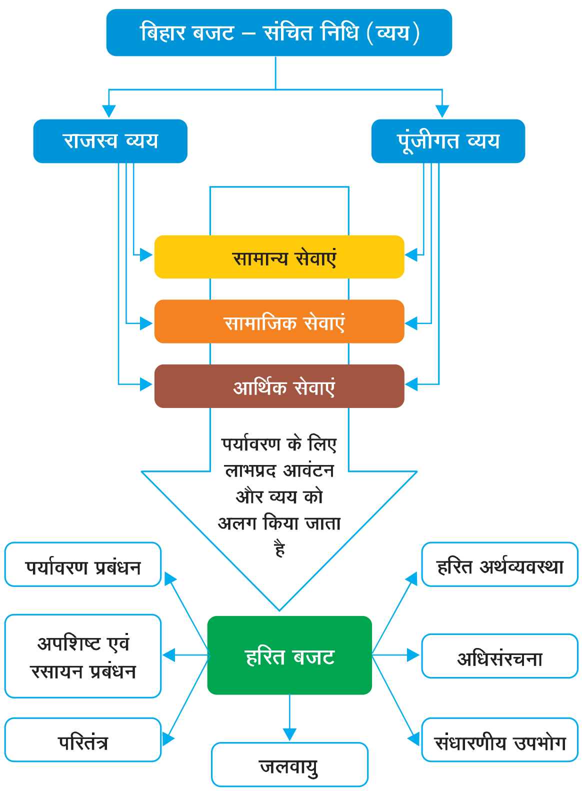

चित्र 1 : ग्रीन बजट की रूपरेखा

3. कार्य पद्धति (Methodology)

ग्रीन बजट निर्माण हेतु मौजूदा समय में कोई मानक कार्य पद्धति उपलब्ध नहीं है। परिस्थिति के आधार पर ग्रीन बजट निर्माण की प्रकृति, स्वरूप एवं दायरे का निर्धारण किया गया है। विगत वर्षों में कतिपय देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय संदर्भ एवं संकल्पों के अनुरूप विभिन्न अवयवों का उपयोग कर ग्रीन बजट निर्माण शुरू किया गया है। अधिकतर मामलों में सरकार द्वारा मुख्य बजट में से पर्यावरण के लिए किये जा रहे व्यय का उपयोग कर ग्रीन बजट का निर्माण किया जा रहा है।

बिहार में ग्रीन बजट पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में विषय विशेषज्ञों के हालिया प्रतिवेदनों का संदर्भ लिया गया है। इस प्रतिवेदन को पर्यावरण के लिए लाभप्रद और बढ़ावा देने वाले व्ययों और नीतिगत कार्यों की रिपोर्टिंग के लिए साधन बनाने का प्रयास किया गया है। इससे यह जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलेगी कि पर्यावरण को बढ़ावा देनेवाली गतिविधियों पर कौन सा सरकारी विभाग कितनी राशि खर्च करता है।

ग्रीन बजट की सीमाएं

1. बजटीय व्यय का विश्लेषण पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
2. सिर्फ सकारात्मक व्ययों के विश्लेषण से पूरी बात का पता नहीं चलता है।
3. पर्यावरण संबंधी नियमों को बजट के स्कोप में शामिल नहीं किया गया है।
4. ऐसा हो सकता है कि सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के व्यय को प्रेरित करने के लिए हो।
5. ग्रीन बजट से पर्यावरण संबंधी व्ययों की कुशलता का मूल्यांकन नहीं होता है।

ग्रीन बजट की कुछ सीमाएं हैं। हालांकि ये सीमाएँ ऐसे प्रयास के लाभ को कम नहीं कर सकते हैं। इस प्रयास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, पर्यावरण संबंधी नीतियों, बजट निर्माण, कर–नीति, हरित लेखांकन एवं समावेशी सतत विकास पर कार्य करनेवालों को एक मंच पर लाया जा सकता है। स्वीकृत परिभाषाएँ एवं कार्य पद्धति राष्ट्रीय एवं राज्य के स्तर पर ग्रीन बजट निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति निर्माण में बेहतर तालमेल एवं समन्वय में मददगार होगा, जो अंततः पर्यावरण संबंधी बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायक होगा।

3.1 पर्यावरण के लिए लाभप्रद एवं बढ़ावा देने वाले व्यय तथा नीतिगत कार्यों की पहचान

ग्रीन बजट को परिभाषित करने के लिए यह पहचान करना आवश्यक है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां क्या होंगी। इस रिपोर्ट में वैसी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नांकित अवयवों को सहयोग प्रदान करते हैं।

व्यापक विषय–वस्तु	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन प्रदूषण में कमी अपशिष्ट प्रबंधन भूमि का संधारणीय उपयोग जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी हरित अर्थव्यवस्था

चरण–1

केंद्र से प्राप्त होनेवाली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने निधि से भी कई योजनाएँ संचालित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कीमों (केन्द्र प्रायोजित, राज्य स्कीम) की समीक्षा कर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को बढ़ावा देनेवाले योजनाओं/गतिविधियों की पहचान की गई।

चरण–2

राज्य सरकार के संबंद्ध विभागों से ग्रीन बजट निर्माण के निमित प्राप्त आंकड़ों पर हरित अवयव के संबंध में किए जा रहे गतिविधियों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।

व्यय संबंधी आंकड़ों के दुहराव एवं त्रुटियों में कमी लाने हेतु Tagging & Tracking विधि अपनाई गई। योजनाओं की ट्रैकिंग के लिए मुख्य शीर्ष, उप–मुख्य शीर्ष, और लघु शीर्ष के बजट कोड के साथ–साथ योजना कोड को भी दर्ज किया गया है।

तालिका 1 : हरित घटक में योगदान करनेवाली गतिविधियों की पहचान और मैपिंग

बिहार में पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले बजट आवंटन/ व्यय का अनुमान	SDG टूल का उपयोग करके पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के मामले में योगदान करने वाले विभागों की पहचान	राज्य के विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और वेबसाइटों की समीक्षा
		राज्य के संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श
	पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के मामले में योगदान करने वाली योजनाओं की पहचान	मांगवार विस्तृत व्यय विवरणी और बजट दस्तावेजों की समीक्षा
		राज्य के प्रासंगिक विभाग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श
	चिह्नित योजनाओं के लिए बजट आवंटन/ व्यय का समाकलन (Collation)	प्रत्येक योजना के लिए कुल बजट आवंटन/ व्यय का समाकलन
	पर्यावरण के लिए प्रासंगिक योजनाओं के अनुमान के गुणांकों (Coefficient) का उपयोग	प्रासंगिक विभागों के साथ संशोधित रियो–मार्कर टेक्नोलॉजी के बारे में विमर्श किया गया
		प्रासंगिक विभागों ने हरित घटक के अनुमान उपलब्ध कराए

3.2 टैगिंग एवं ट्रैकिंग

टैगिंग एवं ट्रैकिंग तकनीक, सतत विकास लक्ष्य से जुड़े मैपिंग टूल और रियो–मार्कर तकनीक[4] पर आधारित है (तालिका नीचे प्रस्तुत है)। तालिका में विभिन्न श्रेणियों में उनके श्रेणीकरण के लिए प्रत्येक योजना और उसके उद्देश्यों तथा घटकों की ब्योरेवार समीक्षा की गई है। बड़ी योजनाओं के मामले में योजना के स्कोर तक पहुँचने के लिए उस योजना के विभिन्न घटकों का स्कोर देखा जा सकता है। योजना के स्कोर का मूल्यांकन उसके 'कार्य–योजना एवं गतिविधियों' का भारत के सतत विकास लक्ष्यों, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य–योजना (NAPCC)[5], बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य–योजना (SAPCC), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य–योजना (NBSAP) एवं गतिविधियों के वर्गीकरण पर विद्यमान साहित्य (जैसे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं व्यय वर्गीकरण अर्थात (CEPA), पर्यावरण गतिविधि वर्गीकरण–CEA और बायोफिन वर्गीकरण[6]) के साथ Alignment पर आधारित है।

तालिका 2 : हरित गतिविधियों की टैगिंग और ट्रैकिंग के लिए रेंज की श्रेणियां

हरित घटक	पूरा (100%)	बहुत अधिक (90% - 75%)	अधिक (75% - 50%)	मध्यम (50% - 25%)	कम (25% - 5%)	बहुत कम (5% - 1%)
स्लैब	1	2	3	4	5	6
उदाहरण	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम बाघ परियोजना ई–वाहन योजना ऊर्जा कुशलता नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना औषधीय पौधें का संरक्षण, विकास एवं सुस्थिर प्रबंधन	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम	प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना परंपरागत कृषि विकास योजना	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम NCC विद्यालयों में पर्यावरण क्लब और कार्यक्रम

तालिका 3 : हरित बजट विवरण

ब्योरा	वित्तीय वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान)
राज्य बजट का कुल आकार	21176149.00 लाख रु.
हरित बजट अंतर्गत शामिल विभागों का कुल स्कीम बजट उपबंध (विभागवार)	8117645.86 लाख रु.
हरित बजट संबंधी शीर्ष में कुल बजट उपबंध	2716285.38 लाख रु.
कुल हरित बजट	569388.06 लाख रु.
हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का हरित प्रतिशत	7.01 प्रतिशत
हरित बजट संबंधी शीर्ष अंतर्गत कुल उपबंध का हरित प्रतिशत	21 प्रतिशत

तालिका 4 : हरित बजट का विभागवार सारांश

क्र. सं.	विभाग	बजट अनुमान वर्ष 2020–21				
		विभाग का कुल स्कीम उपबंध (लाख रु.)	हरित बजट संबंधी शीर्ष में कुल उपबंध (लाख रु.)	हरित बजट (लाख रु.)	शामिल विभागों के कुल स्कीम उपबंध का हरित%	हरित बजट संबंधी शीर्ष अंतर्गत कुल उपबंध का हरित%
1	कृषि	239508.00	142185.09	79854.00	33.34	56.16
2	उद्योग	81000.00	1000.00	1000.00	1.23	100.00
3	पशु एवं मत्स्य संसाधन	77490.45	14674.40	8046.79	10.38	54.84
4	पर्यटन	25789.00	22114.00	2000.00	7.76	9.04
5	पथ निर्माण	558100.00	395196.00	5158.00	0.92	1.31
6	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	535100.00	3700.00	3700.00	0.69	100.00
7	गन्ना उद्योग	10000.00	3000.00	708.75	7.09	23.63
8	ग्रामीण कार्य	961900.00	841895.00	29069.00	3.02	3.45
9	लघु जल संसाधन	93300.00	78750.00	78500.00	84.14	99.68
10	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	44000.00	44000.00	44000.00	100.00	100.00
11	जल संसाधन	300000.00	300000.00	30000.00	10.00	10.00
12	भवन निर्माण	454346.41	62000.00	2403.00	0.53	3.88
13	स्वास्थ्य	560400.00	1000.00	1000.00	0.18	100.00
14	शिक्षा	2126424.00	7800.00	7325.00	0.34	93.91
15	ग्रामीण विकास	1552988.00	460523.00	191401.05	12.32	41.56
16	सूचना एवं जनसंपर्क	10100.00	8272.98	1150.00	11.39	13.90
17	परिवहन	24400.00	19500.00	19500.00	79.92	100.00
18	नगर विकास एवं आवास	341800.00	307174.91	61072.47	17.86	19.88
19	ऊर्जा	121000.00	3500.00	3500.00	2.89	100.00
कुल बजट अनुमान		**8117645.86**	**2716285.38**	**569388.06**	**7.01**	**20.96**

4. परिणाम और निष्कर्ष

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का हरित प्रतिशत का 7.01 प्रतिशत है। वहीं, चिन्हित विभागों के हरित बजट शीर्षों में प्रावधानित कुल बजट उपबंध से तुलना करने पर ग्रीन बजट उद्व्यय उसका 21 प्रतिशत है। हालांकि गौरतलब है कि ये ऐसे उद्व्यय हैं जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। (तालिका–3)

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अलावा, परिवहन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग भी अपने स्कीम उद्व्ययों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हरित घटकों पर खर्च कर रहे हैं। कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के उद्व्ययों का हरित हिस्सा क्रमशः 33.34 प्रतिशत और 12.32 प्रतिशत है (तालिका–4)।

- सतत विकास लक्ष्य संबंधी टैगिंग प्रक्रिया के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि बजट में जिन शीर्ष तीन सतत विकास लक्ष्यों पर काम किया गया है, वे हैं –एस.डी.जी. 15 (जमीन पर जीवन), एस.डी.जी. 6 (जल एवं स्वच्छता) तथा एस.डी.जी. 11 (संधारणीय शहर और समुदाय)। इस चरण में इन परिणामों को हरित गतिविधियों के संबंध में राज्य के वर्तमान झुकाव का प्रारंभिक संकेत माना जा सकता है। भविष्य में राज्य द्वारा एस.डी.जी. 9 (उद्योग, नवाचार और अधिसंरचना) तथा एस.डी.जी. 12 (संधारणीय उपभोग और उत्पादन) से संबंधित गतिविधियों पर विचार किया जाएगा।

- बिहार एक कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था है। बिहार में कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की हरित गतिविधियों को समझना आवश्यक है। विशेष कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा जैव विविधता के ह्रास के विरुद्ध अनुकूलता लाने एवं 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है।

5. भावी संभावनाएँ

- जैसे–जैसे पर्यावरण संबंधी विभिन्न मुद्दों एवं इसकी प्रक्रिया विकसित होगी, वैसे–वैसे बजट निर्माण की प्रक्रिया में हरित बजट शीर्षों का स्पष्ट निरूपण शामिल होता दिखेगा। सभी हरित बजट शीर्षों की टैगिंग और ट्रैकिंग किया जायेगा।

- जिन क्षेत्रों में पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्य शामिल हो सकते हों, उनमें बेहतर योजना निर्माण, पहचान और मैंपिंग करने हेतु विभिन्न विभागों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाकर भविष्य में हरित बजट निर्माण संबंधी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

- आने वाले वर्षों में हरित बजट के और अधिक विकास हेतु कार्यक्रमों का मूल्यांकन, निवल बजट निर्माण, अन्य नीतिगत दस्तावेज और प्रभावी वित्तीय योजना निर्माण के पहलू शामिल किये जाएंगे।

चिन्हित कार्यक्रमों/योजनाओं का विभागवार बजट विवरण

श्रेणी ए– हरित बजट संबंधी अनुमानों के संबंध में योजना के बजट अनुमानों की 100 प्रतिशत (पूर्ण) प्रासंगिकता

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E.)	हरित बजट (Green B.E.)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	19-2406011010109	अवकृष्ट (डिग्रेडेड) वनों का पुनर्वास	200.00	200.00	परंपरागत वन भूमि मृदा–जल संरक्षण, अवकृष्ट वनों के पुनर्वास तथा पूर्व में किए गए पुनर्वास के कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 72.09 लाख पौधे लगाए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	19-2406017890101		2400.00	2400.00		
3	19-2406017960103		450.00	450.00		
4	19-2406018000101	नहर तट फार्म	100.00	100.00	राज्य के नहर/ नदी तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा, विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा तथा पौधशाला की स्थापना की जाएगी। 285.5 कि.मी. में 3.56 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
5	19-2406017890102		400.00	400.00		
6	19-2406018000105	पथ तट फार्म	7100.00	7100.00	राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/ अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशाला स्थापित करने तथा उनके द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्क का विकास किया जाएगा। कुल 14.76 लाख पौधें का संपोषण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पौधशालाओं में 350.93 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
7	19-2406017890103		4400.00	4400.00		

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E.)	हरित बजट (Green B.E.)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
8	19-2406011010111	जल–जीवन–हरियाली	14262.27	14262.27	इसके तहत राज्य में 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तदनुसार पौधशालाओं का सृजन।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
9	19-2406011050104	प्रदूषण नियंत्रण	2000.00	2000.00	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे। इस योजना से सभी जिलों में प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।	प्रदूषण न्यूनीकरण अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
10	19-4406010700102	भवन निर्माण	6000.00	6000.00	राजगीर में जू–सफारी का निर्माण। इस सफारी क्षेत्र में वन्य जीवों को प्राकृतिक अधिवास उपलब्ध कराया जाएगा। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार का काम किया जाएगा।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन
11	19-4406010700101	सड़क एवं पुल	500.00	500.00	राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों का मरम्मती कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।	पर्यावरण प्रबंधन
12	19-2406021100121	वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	1000.00	1000.00	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य।	पर्यावरण प्रबंधन
13	19-2406021100122	डॉल्फीन रिसर्च सेंटर	0.00	0.00	डॉल्फीन रिसर्च सेंटर	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
14	19-2406011050105	प्लांट टिशू कल्चर लैब	207.73	207.73	उत्तम गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी
15	19-2406021100324	बाघ परियोजना	596.00	596.00	राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E.)	हरित बजट (Green B.E.)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
16	19-2406021100224	बाघ परियोजना	1008.00	1008.00	राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
17	19-2406021100326	गज परियोजना	51.00	51.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल अधिवास तैयार करने के लिए वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों और वन्य जीवों के साथ मानवों के संघर्ष की घटनाओं में भी कमी लाने के कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
18	19-2406021100323	एकीकृत वन जीव पर्यावास विकास	457.70	457.70	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। आग लगने से वनों की सुरक्षा में स्थानीय व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
19	19-2406021100327	राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	46.20	46.20	इस योजना के अंतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
20	19-2406041010304	समेकित वन प्रबंधन	143.10	143.10	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढांचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
21	19-2406041010303	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर पौध लगाने और उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधशाला स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
22	19-2406041010305	राष्ट्रीय बांस मिशन	204.00	204.00	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधें का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
23	19-2406047890301		13.34	13.34		
24	19-2406047960301		6.66	6.66		
25	19-4406021110101	वन्य जीव संरक्षण	0.00	0.00	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E.)	हरित बजट (Green B.E.)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
26	19-2406041010301	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	237.00	237.00	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन राज्य के तहत अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधरने और स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। 450 हे. में लगाए गए 6.95 लाख पौधें का संपोषण कार्य किया जाएगा और 1935 हे॰ में 12॰43 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जमीन का संधारणीय उपयोग
27	19-2406021100226	गज परियोजना	76.00	76.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के रहने के लिहाज से अनुकूल अधिवास तैयार करने के लिए वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों और वन्य जीवों के साथ मानवों के संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
28	19-2406021100223	एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	833.70	833.70	वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता और प्रचार–प्रसार काम भी किया जाएगा।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
29	19-2406021100227	राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना	69.30	69.30	इस योजना के अंतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
30	19-2406041010204	समेकित वन प्रबंधन	302.00	302.00	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढांचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी
31	19-2406041010203	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर पौध लगाने और उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधशाला स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।	जलवायु परिवर्तन शमन जमीन का संधारणीय उपयोग
32	19-2406041010205	राष्ट्रीय बांस मिशन	300.00	300.00	बांस के पौधों का उत्पादन। इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों के उत्पादन, पौधशालाओं के विकास और बांस आधरित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	जलवायु परिवर्तन शमन जमीन का संधरणीय उपयोग
33	19-2406047890201		26.00	26.00		
34	19-2406047960201		10.00	10.00		
35	19-2406041010201	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	600.00	600.00	अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। 450 हे. में लगाए गए 6.95 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा और 1935 हे. में 12.43 लाख पौधे लगाए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी जलवायु परिवर्तन शमन जमीन का संधारणीय उपयोग
योगफल			**44000**	**44000**		

उद्योग विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	23-2852801020110	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	1000.00	1000.00	औद्योगिक क्षेत्रों में Common Effluent Plant की स्थापना की जायगी। इससे नदियों का पानी औद्योगिक प्रांगण/क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी से प्रदूषित होने से बचेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी
		योगफल	**1000.00**	**1000.00**		

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	36-4215011020103	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1905.00	1905.00	कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य	हरित अधिसंरचना
2	36-4215017890111		1680.00	1680.00		
3	36-4215017960107		115.00	115.00		
		योगफल	**3700.00**	**3700.00**		

ऊर्जा विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	10-2810606000101	सौर ऊर्जा	2500.00	2500.00	सोलर वाटर पंप लगाना, जल–जीवन–हरियाली अभियान, SPV आधरित ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना,सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव और मरम्मत सहित ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र को GCRT सौर ऊर्जा संयंत्र में बदलना।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
2	10-6801002010101	जल विद्युत	1000.00	1000.00	नई जल विद्युत परियोजनाओं के बचे हुए कार्य को पूर्ण करना और चालू जल विद्युत परियोजनाओं की मरम्मती का कार्य किया जाना है।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
		योगफल	**3500.00**	**3500.00**		

स्वास्थ्य विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	20-4210011100118	जल–जीवन–हरियाली	1000.00	1000.00	वर्षा जल संचयन	हरित अधिसंरचना
		योगफल	**1000.00**	**1000.00**		

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	21-4202012010106	प्राथमिक विद्यालय हेतु जल–जीवन–हरियाली	5000.00	5000.00	राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में से चिन्हित 3125 विद्यालयों में 80,000/–(अस्सी हजार) रु. मात्र प्रति विद्यालय की दर से वाटर हारवेस्टिंग अधिसंरचना का निर्माण किया गया है।	पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	21-4202012020115	माध्यमिक विद्यालय हेतु जल–जीवन–हरियाली	2300.00	2300.00	राज्य की माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चिन्हित मध्य विद्यालयों में जल संचय हेतु 80,000/–(अस्सी हजार) रु. प्रति विद्यालय की दर से जल छाजन अधिसंरचना का निर्माण किए जाने की योजना है।	पर्यावरण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
		योगफल	**7300.00**	**7300.00**		

ग्रामीण विकास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	42-2515000010110	जल–जीवन–हरियाली मिशन	842.00	842.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	42-2220601010101	जल–जीवन–हरियाली जागरूकता	500.00	500.00	इसके अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
		योगफल	**1342.00**	**1342.00**		

परिवहन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	47-3055001900104	बिहार स्वच्छ ईंधन योजना	2000.00	2000.00	पटना में डीजल–चालित तिपहिया वाहनों का सीएनजी या बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापन, पेट्रोल–चालित तिपहिया वाहनों और पेट्रोल–चालित टैक्सी कैब का सीएनजी में परिवर्तन।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
2	47-3055001900102	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2500.00	2500.00	BSRTC द्वारा सीएनजी बसों के क्रय हेतु अनुदान तथा Fame II के अंतर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
3	47-3055001990101	मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना	6000.00	6000.00	ई–रिक्शा की खरीद हेतु अनुदान	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन
4	47-3055007890101		8000.00	8000.00		
5	47-3055007960101		1000.00	1000.00		
		योगफल	**19500.00**	**19500.00**		

लघु जल संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	50-4702001020102	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजना (RIDF)	8300.00	10000.00	सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पइन/तालाब/बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	50-4702007890104		1600.00			
3	50-4702007960105		100.00			
4	50-4702001020107	जल–जीवन–हरियाली (नाबार्ड)	41500.00	50000.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् आहर/पइन/तालाब एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
5	50-4702007890105		8000.00			
6	50-4702007960106		500.00			
7	50-4702001010205	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12865.00	17500.00	आहर/पइन एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
8	50-4702007890205		2480.00			
9	50-4702007960206		155.00			
10	50-4702001010305		1660.00			
11	50-4702007890305		320.00			
12	50-4702007960306		20.00			
		योगफल	**77500.00**	**77500.00**		

नगर विकास एवं आवास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	48-2217030510201	स्वच्छ भारत अभियान (SBM)	19010.00	19010.00	इस योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।	अपशिष्ट प्रबंधन/प्रदूषण में कमी
2	48-2217030510301		5000.00	5000.00		
		योगफल	**24010.00**	**24010.00**		

भवन निर्माण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	03-4406010510101	भवन निर्माण	1000.00	1000.00	वन प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक भवनों का निर्माण।	पर्यावरण प्रबंधन
		योगफल	1000.00	1000.00		
		100 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**183852.00**	**183852.00**		

श्रेणी बी – हरित बजट के संबंध में योजना बजट अनुमानों की 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत (बहुत अधिक) प्रासंगिकता

नगर विकास एवं आवास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	48-2215011910106	जल–जीवन–हरियाली अभियान	300.00	270.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब/पोखर की उड़ाही का कार्य कराया जाता है। साथ ही, कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है। और सोख्ता निर्माण भी इस मद के अंतर्गत कराया जाता है जो जल संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देता है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	48-2215011920103		350.00	315.00		
3	48-2215011930102		350.00	315.00		
4	48-2217011910109	नागरिक सुविधा	3000.00	900.00	नागरिक सुविधा मद के तहत पार्क निर्माण, तालाबों–पोखरों का जीर्णोद्धार आदि कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन शमन
5	48-2217011910124	विशेष स्वच्छता अनुदान	2300.00	1840.00	स्वच्छता अनुदान मद के तहत स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है तथा घर–घर से कचरा उठाने के लिए राशि आवंटित की जाती है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करती है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
6	48-2217031920114		2000.00	1600.00		
7	48-2217031930113		1700.00	1360.00		
		योगफल	**10000.00**	**6600.00**		

लघु जल संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	50-4702001010101	लघु सिंचाई	1080.00	1000.00	आहर / पइन / तालाब / बांध का पुनरुद्धार	हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
2	50-4702007890101		160.00			
3	50-4702007960103		10.00			
		योगफल	**1250.00**	**1000.00**		
		90 से 75 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**11250.00**	**7600.00**		

श्रेणी सी – हरित बजट के संबंध में योजना के बजट अनुमानों की 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (अधिक) प्रासंगिकता

कृषि विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	01-2401001050106	जैविक खेती का उन्नयन	19274.42	13492.00	जैविक फसलों/सब्जी फसलों का उत्पादन	जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401007890126		3715.55	2601.00		
3	01-2401007960148		232.22	163.00		
4	01-2401001040205	पारंपरिक कृषि विकास योजना	415.00	311.00	सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) पद्धति के तहत् जैविक खेती	जमीन का संधारणीय उपयोग
5	01-2401007890241		80.00	60.00		
6	01-2401007960263		5.00	4.00		
7	01-2401001040305		243.27	182.00		
8	01-2401007890341		46.90	35.00		
9	01-2401007960363		2.93	2.00		
10	01-2401001050207	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1660.00	1195.00	समेकित कृषि प्रणाली	जमीन का संधारणीय उपयोग
11	01-2401007890238		320.00	230.00		
12	01-2401007960258		20.00	14.00		
13	01-2401001050307		973.09	701.00		
14	01-2401007890338		187.59	135.00		
15	01-2401007960358		11.72	8.00		

कृषि विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
16	01-2401001090216	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.बी.वाइ)	14525.00	10894.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती,फसल विविधिकरण,समेकित कीट प्रबंधन	जमीन का संधारणीय उपयोग
17	01-2401007890203		2800.00	2100.00		
18	01-2401007960231		175.00	131.00		
19	01-2401001090316		8514.55	6386.00		
20	01-2401007890303		1641.36	1231.00		
21	01-2401007960331		102.59	77.00		
22	01-2402001020112	भूमि संरक्षण कार्य	6225.00	4358.00	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना जमीन का संधरणीय उपयोग
23	01-2402007890101		1200.00	840.00		
24	01-2402007960108		75.00	53.00		
25	01-2402001020213	एकीकृत जल–संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)	5810.00	4067.00		
26	01-2402007890202		1120.00	784.00		
27	01-2402007960209		70.00	49.00		
28	01-2402001020313		3405.82	2554.00		
29	01-2402007890302		656.55	492.00		
30	01-2402007960309		41.03	31.00		
		योगफल	**73549.59**	**53180.00**		

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	02-2405001010104	तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	6853.90	4884.12	मत्स्य विकास योजनाएं – नया तालाब निर्माण, हैचरी, बायोफ्लॉक, चौर विकास, इनपुट, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन, मुर्गी–सह–मछली पालनके माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि जल संरक्षण जल संसाधनों का परंपरागत उपयोग पारिस्थितकी संतुलन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना जमीन का संधारणीय उपयोग
		योगफल	**6853.90**	**4884.12**		

ग्रामीण विकास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	42-2505021010201	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा)	253498.00	164773.70	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ–साथ टिकाऊ परिसंपत्ति सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य तालाब, आहर, खेत–पोखर एवं पइन इत्यादि जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन
2	42-2505021010301		24998.00	16248.70		
3	42-2505027890201		1.00	0.65		
4	42-2505027890301		1.00	0.65		
5	42-2505027960201		1.00	0.65		
6	42-2505027960301		1.00	0.65		
		योगफल	**278500.00**	**181025.00**		
		75 से 50 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**358903.49**	**239089.12**		

श्रेणी डी – हरित बजट संबंधी अनुमान के संबंध में योजना के बजट अनुमानों की 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत (सीमांत) प्रासंगिकता

कृषि विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	01-2401001040106	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	8894.94	4003.00	तालाब निर्माण/ मेड़ पर वृक्षारोपण/ उद्यानिक फसलों की खेती (कृषि नवाचार को प्रोत्साहन)	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
2	01-2401007890147		1714.69	772.00		
3	01-2401007960169		107.17	48.00		
4	01-2401001190101	उद्यान विकास योजना	12325.50	6163.00	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, सुगंधित पौधें का क्षेत्र में प्रसार	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
5	01-2401007890130		2376.00	1188.00		
6	01-2401007960152		148.50	74.00		
7	01-2401001020201	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7100.65	3550.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई	जमीन का संधारणीय उपयोग
8	01-2401007890237		1368.80	684.00		
9	01-2401007960259		85.55	43.00		
10	01-2401001020301		4162.40	2081.00		
11	01-2401007890323		802.39	401.00		
12	01-2401007960359		50.15	25.00		

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
13	01-2401001190224	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2170.45	1085.00	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना
14	01-2401007890235		418.40	209.00		
15	01-2401007960257		26.15	13.00		
16	01-2401001190324		1272.32	636.00		
17	01-2401007890335		245.26	123.00		
18	01-2401007960357		15.33	8.00		
		योगपफल	**43284.65**	**21106.00**		

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	02-2405001090102	मत्स्य प्रसार योजना	1620.50	597.66	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण तथा सेमिनार कार्यशाला आयोजित किया जाना है, जिसके माध्यम से मत्स्य कृषकों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
2	02-2405001010219	नीली क्रांति– समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	4700.00	1557.15	रियरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट, झींगा एवं मांगुर हैचरी, रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण आदि कार्य किया जाना है। जिसके माध्यम से भू–जल स्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, संगठित मत्स्य पालन हेतु अनुपयोगी जमीन का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
3	02-2405001010319		1500.00	1007.86		
		योगफल	**7820.50**	**3162.67**		

नगर विकास एवं आवास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	48-2215021920102	नाला निर्माण, मलजल निकासी (सीवरेज) एंव अन्य स्वच्छता योजनाएं	2000.00	600.00	नाला निर्माण, मलजल निकासी एवं स्वच्छता संबंधी अन्य मद में नाला निर्माण एवं सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
2	48-2215021930102		1000.00	300.00		
3	48-2215027890101		1000.00	300.00		
4	48-2217011910116	नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधा	400.00	120.00	नागरिक सुविधा मद के तहत पार्क निर्माण, तालाबों–पोखरों का जीर्णोद्धार आदि कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन जमीन का संधारणीय उपयोग
5	48-2217031920105		300.00	90.00		
6	48-2217031930104		300.00	90.00		
7	48-2217030510205	झीलों का सौदर्यीकरण	990.00	495.00	झील सौंदर्यीकरण मद के तहत झीलों का सौंदर्यीकरण कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	पर्यावरण प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
8	48-2217030510305		600.00	300.00		
		योगफल	**6590.00**	**2295.00**		
		50 से 25 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**57695.15**	**26563.67**		

श्रेणी ई – हरित बजट संबंधी अनुमान के संबंध में योजना के बजट अनुमानों की 25 प्रतिशत से 05 प्रतिशत (कम) प्रासंगिकता

कृषि विभाग

वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	01-2401001030109	बीज गुणन फार्मो का विस्तार, खेती पर व्यय	11620.00	2324.00	बीज गुणन फार्मो का विस्तार, खेती पर व्यय, आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	01-2401007890117		2240.00	448.00		
3	01-2401007960140		140.00	28.00		
4	01-2401001030218	सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल	2075.00	519.00	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत बीज का उत्पादन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
5	01-2401007890249		400.00	100.00		
6	01-2401007960271		25.00	6.00		
7	01-2401001030318		1216.36	304.00		
8	01-2401007890349		234.48	59.00		
9	01-2401007960371		14.66	4.00		
10	01-2401001080220	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	544.48	109.00	तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
11	01-2401007890234		104.96	2.00		
12	01-2401007960256		6.56	1.00		
13	01-2401001080320		319.18	64.00		
14	01-2401007890334		61.53	12.00		
15	01-2401007960356		3.84	1.00		

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
16	01-2401001090218	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	3320.00	830.00	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम और उत्पादन प्रणाली आदि / स्प्रिंकलर / ड्रिप इरीगेशन की योजना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
17	01-2401007890239		640.00	160.00		
18	01-2401007960261		40.00	10.00		
19	01-2401001090318		1946.18	487.00		
20	01-2401007890339		375.17	94.00		
21	01-2401007960361		23.45	6.00		
		योगफल	**25350.85**	**5568.00**		

पर्यटन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	46-5452011010104	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	22114.00	2000.00	1. इसके तहत वैशाली जिले में विश्व शांति स्तूप के समीप अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति हेतु योजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान में उक्त सरोवर में गाद भरा हुआ है। इस सरोवर में तकनीकी और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। 2. इसके तहत पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन परिपथ में मार्गीय सुविधाएं यथा ढाबों/लाइन होटलों/मोटलों आदि का उन्नयन एवं मानकीकरण किया जाना है। इससे पर्यटकों को सुविध मिलेगी। इस योजना के तहत शौचालयों का भी निर्माण किया जाना है जिससे खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी काफी मदद मिलेगी।	जमीन का संधारणीय उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था
		योगफल	**22114.00**	**2000.00**		

गन्ना उद्योग विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	45-2401001080109	ईख विकास / मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	2490.00	581.25	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति के प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा उक्त योजना के तहत पानी की कम जरूरत वाले गन्ना के प्रभेद CoP-9301, CO-98014 और CoLK-94184 चयनित हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	45-2401007890108		480.00	120.00		
3	45-2401007960129		30.00	7.50		
		योगफल	3000.00	708.75		

ग्रामीण कार्य विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	37-4515001030316	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	33300.00	8028.00	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिक के कचरे और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण किया जाना है।	संधारणीय उपभोग हरित अधिसंरचना
		योगफल	33300.00	8028.00		

नगर विकास एवं आवास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	48-2217011910115	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान / मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना	4000.00	400.00	मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है जो जल संभरण(रिचार्ज) के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।	पर्यावरण प्रबंधन हरित अधिसंरचना
2	48-2217031930103		19032.01	1903.20		
3	48-2217017890102		4500.00	450.00		
4	48-2217037890102		22467.99	2246.80		
5	48-2217030510202	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–AMRUT	48000.00	4800.00	इस योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण योजना, जलापूर्ति योजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना और FSSM योजना का क्रियान्वयन होता है। पार्क विकास योजना के तहत हरित स्थल / वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भूजल संचयन और संभरण गड्ढा (रिचार्ज पिट) भी बनाया जा रहा है FSSM योजना के अंतर्गत घर के शौचालयों से निकलने वाले मलजल का प्रबंधन किया जाएगा। उक्त सभी कार्य पर्यावरण हित में किए जाएंगे।	पर्यावरण प्रबंधन हरित अधिसंरचना अपशिष्ट प्रबंधन
6	48-2217030510302		13000.00	1300.00		

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
7	48-2217800010501	बिहार नगरीय विकास परियोजना (EAP)	14300.00	2860.00	इस योजना के अंतर्गत सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	पर्यावरण प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी
8	48-2217030510304	स्मार्ट सिटी मिशन	20000.00	2000.00	इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।	जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन हरित अधिसंरचना
9	48-2217030510204		42000.00	4200.00		
		योगफल	**187300.00**	**20160.00**		

जल संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	49-2705000010204	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	500.00	50.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनःस्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
2	49-2705000010304		3726.00	372.60		
3	49-4700800510207		26400.00	2640.00		
4	49-4700800510105	सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	48350.00	4835.00		
5	49-4700807890102		27000.00	2700.00		
6	49-4700800510102	नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	50.00	5.00		
7	49-4700800050101	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	600.00	60.00		
8	49-4700800510309	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5000.00	500.00		
9	49-4700800510310	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	5000.00	500.00		
10	49-4700800510104	सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य) नाबार्ड संपोषित योजना	60000.00	6000.00		
11	49-4711010510209	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	50600.00	5060.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
12	49-4711010510309	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	16274.00	1627.40	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जमीन का संधारणीय उपयोग
13	49-4711010510212	सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	12500.00	1250.00		
14	49-4711017890104	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	21000.00	2100.00		
15	49-4711017960101		3000.00	300.00		
16	49-4711010510110	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	10000.00	1000.00		
17	49-4711010510111	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नाबार्ड संपोषित योजना	10000.00	1000.00		
		योगफल	**300000.00**	**30000.00**		

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/ योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	24-2220601060101	क्षेत्रीय प्रचार अभियान	8272.98	1150.00	इस योजना के अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन और पर्यावरण से संबंधित अन्य योजनाओं का विभिन्न माध्यमों –यथा आउटडोर प्रचार, वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत–नाटक, मास मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किया जाना है।	पर्यावरण प्रबंधन
		योगफल	**8272.98**	**1150.00**		
		25 से 05 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**579337.83**	**67614.75**		

श्रेणी एफ – हरित बजट संबंधी प्राक्कलन के संबंध में योजना के बजट अनुमानों की 05 प्रतिशत से 01 प्रतिशत (बहुत कम) प्रासंगिकता

पथ निर्माण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	41-5054033370508	सड़क	211900.00	3856.00	1.BSHP-II, IIAF-III के तहत राज्य उच्चपथों का निर्माण 2. गंगा पथ का निर्माण 3. आर–ब्लॉक से दीघा सड़क का निर्माण इनमें अनिवार्य वनरोपण, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रावधान हैं।	जमीन का संधारणीय उपयोग जलवायु परिवर्तन शमन
2	41-5054033370102	बृहद सड़कें	110000.00	1022.00		
3	41-5054037890101		73296.00	280.00		
		योगफल	395196.00	5158.00		

ग्रामीण कार्य विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	37-3054041050001	ग्राम सड़क – अन्य रखरखाव व्यय	90000.00	2037.00	(1) सड़क किनारे वृक्षारोपण, (2) प्लास्टिक का कचरा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	जलवायु परिवर्तन शमन जमीन का संधरणीय उपयोग संधारणीय उपभोग
2	37-4515001030113	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	61172.00	3172.00		
3	37-4515007960109	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	9619.00	510.00		
4	37-4515007890104	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	139204.00	5979.00	(1) सड़क किनारे वृक्षारोपण, (2) प्लास्टिक का कचरा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	
5	37-4515001030216	प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना	508600.00	9343.00		
		योगफल	**808595.00**	**21041.00**		

नगर विकास एवं आवास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	48-2215021910102	नाला निर्माण, मलजल निकासी एंव अन्य स्वच्छता योजनाएं	16174.91	4852.47	मलजल निकासी और अन्य स्वच्छता मद में नाला निर्माण एवं सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण में कमी हरित अधिसंरचना
2	48-2217030510203	सबके लिए आवास (शहरी)	29850.00	1492.50	इस योजना के अंतर्गत संचालित अंगीकार योजना के अधीन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।	जलवायु परिवर्तन शमन जमीन का संधारणीय उपयोग
3	48-2217030510303		12700.00	635.00		
4	48-2217017890205		4800.00	240.00		
5	48-2217017890305		800.00	40.00		
6	48-2217037890205		4800.00	240.00		
7	48-2217017960201		275.00	13.75		
8	48-2217017960301		50.00	2.50		
9	48-2217037960203		275.00	13.75		
10	48-2217037960303		50.00	2.50		
11	48-3475001080202	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना/NULM	4125.00	206.25	इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण के हित में प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।	पर्यावरण प्रबंधन
12	48-3475001080302		1660.00	83.00		
13	48-3475007890202		3200.00	160.00		
14	48-3475007890302		320.00	16.00		
15	48-3475007960202		175.00	8.75		
16	48-3475007960302		20.00	1.00		
		योगफल	**79274.91**	**8007.47**		

भवन निर्माण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	03-4059010510101	भवन	16800.00	386.40	ईंट के स्थान पर शत प्रतिशत फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, रिफलेक्टिव एवं पेंट का प्रयोग किया जा रहा है, सोलर पैनल तथा मलजल उपचार संयंत्र का बढ़ावा दिया जा रहा है, भूजल के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। भवन के विद्युत कार्य में एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है, एयर कंडिशनिंग में इनवर्टर आधरित 4/5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडिशनर का प्रयोग कियाजा रहा है। विद्युत उपकरणों/बल्ब को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विभिन्न नवनिर्मित महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन संधारणीय उपभोग
2	03-4216017000101	अन्य आवास	44000.00	1012.00		
3	03-4059800510110	न्यायिक भवनों	100.00	2.30		
4	03-4216017000102	न्यायिक आवासीय भवन	100.00	2.30		
		योगफल	61000.00	1403.00		

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	21-2202010010105	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला और विभिन्न आयोजन एवं महोत्सव	500.00	25.00	प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला और विभिन्न संगोष्ठियों का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन
		योगफल	**500.00**	**25.00**		

ग्रामीण विकास विभाग
वित्तीय वर्ष 2020–2021 (बजट अनुमान)

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट कोड	कार्यक्रम/योजना	बजट अनुमान (B.E)	हरित बजट (Green B.E)	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण की संधारणीयता संबंधी प्रासंगिकता
1	42-2215021050103	लोहिया स्वच्छता योजना/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	20000.00	1000.00	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों और चिन्हित श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों यथा – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत किसान, महिला–प्रधान परिवार तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए घरेलू शौचालय के उपयोग और हाथ धोने के लिए जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना है। चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जिन ए.पी.एल. परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।	पर्यावरण प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन
2	42-2215021050202		113631.00	5681.55		
3	42-2215021050302		11700.00	585.00		
4	42-2215027890204		29136.00	1456.80		
5	42-2215027890304		3000.00	150.00		
6	42-2215027960206		2914.00	145.70		
7	42-2215027960306		300.00	15.00		
		योगफल	**180681.00**	**9034.05**		
		05 से 01 प्रतिशत रेंज का कुल बजट योगदान	**1525246.91**	**44668.52**		

बिहार में हरित बजट निर्माण के संदर्भ में विभागवार संचालित/प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- **अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (Rehabilitation of Degraded Forests)–** परंपरागत वन भूमि, मृदा जल संरक्षण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा पूर्व में किए गए पुनर्वास कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों में कमी के लिए इस योजना के अंतर्गत 72.09 लाख पौधें लगाए जाएंगे।

- **नहर तट फार्म–** राज्य के नहर/ नदी तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा, विगत वर्ष में किए गए वृक्षारोपण कार्य का संपोषण कार्य किया जाएगा और पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। 285.5 कि.मी. में 3.56 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा।

- **पथ तट फार्म–** राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी और उनके द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। कुल 14.76 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पौधशालाओं में 350.93 लाख पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।

- **जल–जीवन–हरियाली–** इसके तहत राज्य में 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तदनुसार पौधशालाओं की स्थापना की जायगी।

- **प्रदूषण नियंत्रण–** बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे। इस योजना के तहत सभी जिलों में प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

- **भवन निर्माण–** 1. राजगीर में जू–सफारी का निर्माण। इस सफारी क्षेत्र में वन्य जीवों को प्राकृतिक अधिवास उपलब्ध कराया जाएगा। वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी। 2. वन प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जाना है।

- **सड़क एवं पुल–** राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

- **वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation) –** राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।

- **प्लांट टिशू कल्चर लैब–** उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना।

- **व्याघ्र परियोजना (Project Tiger)–** राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण और उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।

- **गज परियोजना (Project Elephant)–** राज्य में हाथियों के रहने के लिहाज से अनुकूल अधिवास तैयार करने के लिए वनों के अंदर कार्य किया जाएगा। हाथियों और वन्य प्राणियों से मानवों के टकराव की घटनाओं में कमी लाने के कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे।

- **एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (Integrated Development of Wildlife habitats)–** वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। वनों की आग से सुरक्षा के लिए स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (National Aquatic Ecosystem Protection Scheme) –** इस योजना के अंतर्गत जलजीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।

- **समेकित वन प्रबंधन (Intensification of Forest Management)**– प्राकृतिक वनों की आग से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ढ़ांचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।

- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना (National Agro-forestry Scheme)–** इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर पौधशाला लगाने का और उच्च्च गुणवत्ता के पौधों की प्राप्ति के लिए पौधशालाएं स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission)–** इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधे का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

- **वन्यजीव संरक्षण–** राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।

- **राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) (National Afforestation Programme)–** राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय समुदायों के आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। 450 हे. में लगाए गए 6.95 लाख पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा और 1,935 हे. में 12.43 लाख पौधे रोपे जाएंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- **नाला निर्माण, मलजल निकासी एवं अन्य स्वच्छता–** नाला निर्माण, मलजल निकासी एवं अन्य स्वच्छता मद में नाला निर्माण, सिवरेज निर्माण आदि के कार्य कराए जाते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं।

- **जल–जीवन–हरियाली अभियान–** जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब/पोखर की उड़ाही का कार्य कराया जाता है। साथ ही कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है और सोख्ता निर्माण भी इस मद के अंतर्गत कराया जाता है जो जल संरक्षण में और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देता है।

- **नागरिक सुविधा–** नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत पार्क निर्माण, तालाबों एवं पोखरों का जीर्णोद्धार आदि कराया जाता है जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।

- **विशेष स्वच्छता अनुदान–** स्वच्छता अनुदान मद के अंतर्गत स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है और घर–घर से कचरा का उठाव करने के लिए राशि आवंटित की जाती है जिससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है।

- **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना (पथ एवं पुल निर्माण)–** मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है जो जल संभरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।

- **स्वच्छ भारत मिशन योजना (SBM)–** इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाता है।

- **अमृत (AMRUT)–** इस योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण योजना, जलापूर्ति योजना, वर्षा जल निकासी योजना एवं FSSM योजना क्रियान्वित हैं। पार्क विकास योजना के अंतर्गत हरित स्थल/वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल संचयन एवं संभरण पीट भी बनाया जा रहा है, जिनमें जितनी जगह स्टैंड–पोस्ट लगेंगे, वहां रिचार्ज पीट भी बनाने का प्रावधान है। FSSM योजना के अंतर्गत घर के शौचालयों की टंकी से निकलने वाले कचरे का प्रंबंधन किया जाएगा। उक्त सभी कार्य पर्यावरण के हित में किए जाएंगे।

- **बिहार नगरीय विकास परियोजना–** इस योजना के अंतर्गत सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।

- **सबके लिए आवास योजना (HFA)–** इस योजना के अंतर्गत संचालित अंगीकार योजना के अधीन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) (DAY-NULM)**– इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण हित में प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन योजना–** इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।

- **झीलों का सौंदर्यीकरण–** झीलों का सौंदर्यीकरण मद के अंतर्गत झीलों का सौंदर्यीकरण कराया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।

परिवहन विभाग

- **12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर का अधिरोपण–** पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 9 अप्रैल, 2010 के गजट प्रकाशन द्वारा जोड़े गए बिहार मोटरयान अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा, जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना तिपहिया, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर से भिन्न निबंधित वाहन है, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत हरित कर के रूप में देय है।

- **बिहार स्वच्छ इंधन योजना–** पटना नगर निगम क्षेत्र में वाहन जनित प्रदूषण की समस्या के निदान के उद्देश्य से 31.01.2021 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, पटना

नगर निगम के आस–पास के दानापुर नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् एवं खगौल नगर परिषद् क्षेत्र में भी डीजल चालित तिपिहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है जो दिनांक 31.03.2021 से प्रभावी है। इन क्षेत्रों में सी.एन.जी. और बिजली से चलने वाले तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार स्वच्छ इंधन योजना लागू की गयी है। इसके अंतर्गत डीजल और पेट्रोल चालित जिन तिपहिया वाहनों की बैठाने की क्षमता चालक सहित 7 व्यक्तियों तक है, उनको नए सी.एन.जी. चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000/– रु. (चालीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल चालित जिन तिपहिया वाहनों की बैठाने की क्षमता चालक सहित 7 व्यक्तियों तक है, उनको नए बैटरी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000/– रु. (पच्चीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। जिन पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों की बैठाने की क्षमता 7 व्यक्तियों तक है, उनमें सी.एन.जी. किट लगवाने पर 20,000/– रु. एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। व्यवसायिक मोटर कैब तथा मैक्सी कैब में सी.एन.जी. किट लगवाने पर भी 20,000/– रु. एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इसके लिए 2000.00 लाख रु. का बजट उपबंध किया गया है।

- **15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों के परिचालन पर रोक–** वाहनों से उत्सर्जित होने वाले गैस और धूलकण वायु प्रदुषण का मुख्य कारण हैं। अतः सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा व्यवहृत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के सरकारी वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

- **15 वर्ष से अधिक पुराने व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक–** वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन करने वाले 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है।

- **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की डीजल बसों का सी.एन.जी में संपरिवर्तन–** पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सिटी बस सर्विस में परिचालित डीजल बसों को सी.एन.जी. चालित बसों में संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2019–20 में सब्सिडी के रूप में 3,00,00,000/–(तीन करोड़) रु. का भुगतान किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अधिक से अधिक सी.एन.जी. चालित बसों के क्रय का निर्णय लिया गया है।

- **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा Fame II अंतर्गत 25 विद्युत बसों के परिचालन–** परिवहन विभाग द्वारा विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित किए जाने के क्रम में Fame II के अंतर्गत 25 विद्युत चालित बसों को ओपेक्स मॉडल के तहत प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निगम द्वारा बसों का परिचालन शीघ्र प्रारंभ होगा।

- **विद्युत चालित कारों का उपयोग–** वाहन जनित उत्सर्जन से पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवहन विभाग की पहल पर प्रथम चरण में विभिन्न कार्यालयों में उपयोग हेतु EESL से मासिक लीज पर 6 (छः) विद्युत चालित कार लिए गए हैं। उसके बाद अन्य कार्यालयों द्वारा भी 4 (चार) विद्युत चालित वाहन EESL से मासिक लीज पर लिए गए हैं। परिवहन विभाग सहित अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा विद्युत चालित कारों का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय में उपयोग हेतु 2 (दो) विद्युत चालित कारों की खरीद भी वित्त

विभाग द्वारा की गई है। विद्युत चालित वाहनों के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है। विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार विद्युत चालित वाहन एवं चार्जिंग स्टेशन प्रोत्साहन नीति सूत्रबद्ध की गयी है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना–** सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा समाज के वंचित वर्गों के बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक पंचायत के पाँच चयनित लाभुकों को वाहन की खरीद पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 1.00 लाख रु. अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत ई–रिक्शा की खरीद की मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत चयनित लाभुक को ई–रिक्शा की खरीद पर मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70,000/– रु. अनुदान का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 182 करोड़ रु. के कुल बजट उपबंध में से कुल 3 करोड़ 57 लाख रु. का ई–रिक्शा की खरीद पर अनुदान स्वरूप भुगतान किया गया है।

- **प्रदूषण जाँच केंद्रों की स्थापना–** वाहनजनित प्रदूषण को कम करने के लिए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहनों के प्रदूषण जाँच के लिए अधिक से अधिक प्रदूषण जाँच केंद्र खोले जा रहे हैं। इसको गति देने के लिहाज से प्रदूषण जाँच केंद्रों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को दी गई है। अभी तक राज्य में 780 प्रदूषण जाँच केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र निकासी को भी ऑनलाइन किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदूषण जाँच किए गए वाहनों का डेटा सुरक्षित रहेगा और चूक करने वाले वाहनों की जाँच सुगम हो जाएगी।

- **सी.एन.जी फिलिंग स्टेशन की स्थापना–** गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पटना शहर में विभिन्न स्थानों पर तत्काल पाँच सी.एन.जी. केंद्रों की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा सी.एन.जी. वाले ऑटो और कार में सी.एन.जी. की आपूर्त्ति की जा रही है। अतिरिक्त सी.एन.जी. फिलिंग केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **पथ कर में छूट–** सभी प्रकार के बैटरी चालित वाहन के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

- **पटना, मुजफ्फरपुर और गया में डीजल ऑटो के नए परमिट पर रोक–** परिवेशीय वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मुजफ्फरपुर और गया के शहरी क्षेत्रों में डीजल चालित ऑटो के नए परमिट स्वीकृत नहीं किए जाने का निदेश संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दिया गया है।

कृषि विभाग

- कृषि विभाग द्वारा जो बजट खर्च किया जाता है, उसमें अधिकांश हिस्सा हरियाली पैदा करने के लिए किया जाता है जो ग्रीन बजट का प्रमुख भाग है। विभाग की योजनाओं में फसल उत्पादन की योजना प्रमुख है। इसमें धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज तथा व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत ईख और जूट उगाने को प्राथमिकता दी जाती है। फसल उत्पादन के घटकों में श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से धान और गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई इत्यादि शामिल हैं। राज्य में जैविक कोरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत एकवर्षीय एवं बहुवर्षीय

फसलों के क्षेत्र विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर बल दिया जा रहा है। ड्रिप इरीगेशन का उपयोग किया जा रहा है।

- **भूमि संरक्षण :** भूमि और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, पौध रोपण प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन, भूमिहीन किसानों के लिए कार्यक्रम एवं उत्पादन प्रणाली, स्प्रिंकलर / ड्रिप इरीगेशन की योजना, पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौध रोपण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

भवन निर्माण विभाग

- भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन भवनों में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक ईट भठ्ठों से उत्पादित ईंटों के स्थान पर शत–प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव ग्लास एवं पेंट का प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल तथा मलजल उपचार संयंत्र इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- भू–जल स्तर के संभरण के लिए सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्माण में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा है।

- भवन के विद्युत कार्यो में एल.ई.डी. बल्बों का प्रयोग किया जा रहा है। वातानुकूलन में इन्वर्टर टाइप, 4 / 5 स्टार रेटिंग वाले एयरकंडिशनर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत उपकरणों / बल्बों को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भवन निर्माण विभाग के स्तर से सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र, बिहार संग्रहालय, अबुल कलाम साइंस सिटी इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा विभाग

- जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण से निपटना बिहार के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए राज्य सरकार ने कारगर तरीके से इसका मुकाबला करने का बड़ा फैसला किया है। तीन साल में 7.50 करोड़ पेड़ लगाकर बिहार की धरती को 17 फीसदी हरित आच्छादन उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। साथ ही, अक्षय उर्जा (सौर उर्जा) के अधिकाधिक उपयोग के लिए भी सरकार द्वारा कार्यक्रम चल रहे है। शिक्षा विभाग द्वारा इस कड़ी में निम्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

- **प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन योजना –** राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत प्रथम चरण में चिन्हित 3,125 विद्यालयों में 80,000 / – रु. (अस्सी हजार रुपए) मात्र प्रति विद्यालय की दर से व्यय करके वर्षा जल संचयन व्यवस्था का निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में चिन्हित विद्यालयों में 50,00,00,000 / – रु. (पचास करोड़ रुपए) मात्र व्यय किए जाने की योजना है।

- **माध्यमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन योजना –** राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चिन्हित 1,500 मध्य विद्यालयों में, जिनमें अप्रैल 2020 से नवीं कक्षा तक पढ़ाई की जानी है, 80,000 / – रु. (अस्सी हजार रुपए) मात्र प्रति विद्यालय की दर से वर्षा जल संचयन व्यवस्था का निर्माण किए जाने की योजना है।

- **जल–जीवन–हरियाली दिवस का आयोजन –** राज्य में अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार (अवकाश की स्थिति में अगले दिन बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 12.00 तक जल–जीवन–हरियाली दिवस मनाने के लिए विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर सरकारी विद्यालय के बच्चों को निकटवर्ती महत्वपूर्ण जल सरंचनाओं के भ्रमण एवं उस दौरान उनकी उपयोगिता एवं महत्व बताने के लिए प्रेरक / समन्वयक द्वारा जानकारी दिए जाने का निदेश दिया गया है।

- **चापाकलों के किनारे सोख्ता/अन्य जलसंचय संरचना निर्माण योजना –** राज्य के प्रत्येक विद्यालय में बालक–बालिकाओं द्वारा पेयजल हेतु चापाकलों / अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है। चापाकल / अन्य स्रोत से भू–गर्भ जल निकालकर अलग–अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया हुआ जल बहकर नष्ट हो जाता है और उससे आस–पास गंदगी / कीचड़ फैलता है। अतः शिक्षा विभाग ने अन्य विभागों से समन्वय करके राज्य में अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से प्रत्येक में चापाकलों / अन्य स्रोतों के किनारे सोख्ता का निर्माण कराने का निर्णय लिया है।

- **पौधशाला स्थापना और सघन वृक्षारोपण –** विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल–जीवन–हरियाली को लेकर विभिन्न आयोजनों का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत पौधशाला स्थापना और सघन वृक्षारोपण के प्रति जागृति हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि 7.50 करोड़ पौधे लगाने के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तय लक्ष्य की दिशा में कार्य किया जा सके।

- **सौर उर्जा के अधिकाधिक उपयोग के लिए विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगवाने की योजना –** शिक्षा विभाग ने उर्जा विभाग के सहयोग से प्रथम चरण में प्रत्येक प्रखंड मे चयनित एक–एक विद्यालय को सौर उर्जा युक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। सौर उर्जा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त अक्षय उर्जा है। यह हमारी जरूरतों के लिए स्थायी समाधान है।

- **बैटरी चालित विद्युत वाहन –** राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए बैटरी चालित, विद्युत अथवा सी.एन.जी. चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने के साथ–साथ वायु प्रदूषण कम किया जा सके।

- **विद्युत उपकरणों को ऊर्जा–कुशल उपकरणों से बदलने की योजना–** शिक्षा विभाग के राज्य स्तर से क्षेत्रीय स्तर पर के कार्यालयों में अधिक खपत करने वाले विद्युत बल्बों की जगह एल.ई.डी. बल्बों का और बिजली की कम खपत करने वाले पंखों / ए.सी. तथा अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्राकृतिक प्रकाश के अधिकाधिक उपयोग लायक कमरों का निर्माण करने की पहल की जा रही है।

- शिक्षा विभाग के कार्यक्रम / बैठक में प्लास्टिक निर्मित बोतलों का उपयोग घटाने के लिए पानी के गिलास की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। कागज की खपत कम करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा में यथा संभव ऑनलाइन परीक्षा की कार्रवाई विचारणीय है। कागज के खपत में कमी के उद्देश्य से ई–रिपोर्टिंग यथा एस.एम.एस, ई–मेल आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लास्टिक के कुप्रभाव से बचने के लिए लिखो–फेको कलमों की जगह स्याही वाली कलमों का उपयोग विचारणीय है।

शैक्षणिक संस्थानों में पेड़ लगाकर गोद लेने की परंपरा विकसित करने की कार्रवाई विचारणीय है। सम्मानित अतिथियों को मोमेंटो के रूप में जीवंत पौधे देने की परंपरा का प्रारंभ किया गया है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

- जल–जीवन–हरियाली अभियान और इसके समर्थन में बनने वाली मानव श्रृंखला में व्यापक जन भागीदारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य भर में होर्डिंग–फ्लैक्स, अखबारों में विज्ञापन, ऑडियो–विजुअल प्रचार रथ, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा हॉल, मोबाइल संदेश तथा जल–जीवन–हरियाली यात्रा द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

- इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल–जीवन–हरियाली अभियान के व्यापक प्रसार–प्रचार के लिए उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यों पर कुल 11.50 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के हुए व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आकलित संभावित व्यय 11.50 करोड़ रु. है।

लघु जल संसाधन विभाग

- लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में एक एकड़ से बड़े रकबा वाले आहर–पइनों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है।

- छोटी–छोटी नदियों पर चेक डैम/वीयर का निर्माण भी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही राजकीय नलकूप के किनारे सोख्ता (सोक पिट) निर्माण का कार्य किया जाना है।

- विभाग के अंतर्गत सार्वजानिक भूमि पर बड़े–बड़े जल निकायों और पहाड़ों के चारो तरफ Garland Trench निर्माण का कार्य भी किया जायगा। उक्त योजनाओं के निर्माण से सिंचाई सुविधा के साथ–साथ जल संचयन तथा भू–गर्भ जल के संभरण का कार्य होगा। भू–गर्भ जल संभरण से भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे जल निकायों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य भी कराया जायगा।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में आहर–पइन/वीयर की 202 योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं और 1,413 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त योजनाओं के अतिरिक्त 1,500 आहर–पइन/तालाब/चेक डैम/Garland Trench के निर्माण का लक्ष्य है।

- इस प्रकार लघु जल संसाधन विभाग की जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उनसे –

  (1) सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे फसलों की उत्पादकता और किसानों के आय में वृद्धि होगी।

  (2) जल निकायों में जल संचयन होगा, जिसका इस्तेमाल वर्षा की कमी वाले समय में सिंचाई के साथ–साथ घरेलू उपयोग में किया जाएगा।

  (3) जल निकायों में जल संचयन से मत्स्य पालन भी होगा।

  (4) जल निकायों के किनारे वृक्षारोपण करने से वृक्षों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

ग्रामीण कार्य विभाग

- बिहार में ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु ''बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018''लागू की गई है। इस नीति के तहत प्राक्कलन में सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाता है। वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि परिमाण विपत्र में अंकित प्रति वृक्ष की दर का 30 प्रतिशत प्रति वृक्ष के हिसाब से भुगतान किया जाएगा एवं पाँच वर्षों तक वृक्षों के संधारण के उपरांत शेष 70 प्रतिशत राशि देय होगी जिसमें से मृत वृक्षों की राशि शत–प्रतिशत घटा दी जाएगी। वर्त्तमान में विभाग द्वारा कुल 6,413 पथों (कुल लंबाई 19,500 कि.मी.) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- कालीकृत पथों के निर्माण में बिटुमेन के वजन के 6 से 8 प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरा का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना–1 (PMGSY-1) के अंतर्गत 491 पथ (कुल लंबाई 838.783 कि.मी.) स्वीकृत हैं जिनमें से 355 पथों (कुल लंबाई 589.578 कि.मी.) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 के अंतर्गत भी कुल 337 पथों (कुल लंबाई 1,923.654 कि.मी.) की स्वीकृति प्रदान की गई है। पथों में प्लास्टिक कचरा की आपूर्ति हेतु पटना नगर निगम को विभाग द्वारा 10.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

गन्ना उद्योग विभाग

- **Effluent Treatment Plant (ETP)**– चीनी मिलों से उत्सर्जित गंदे पानी को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाने के लिए ETP स्थापित किया जाता है।

- **मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम–** इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से चयनित कुल 08 प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जा रहा है। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 180/–रु. प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 210/–रु. प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देय है। गन्ना के 08 चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज क्रय पर किसानों को अनुदान दिया जाता है।

पर्यटन विभाग

- अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति का कार्य वैशाली शाखा नहर से किया जाएगा। वर्तमान में उक्त सरोवर में गाद भरा हुआ है। इस सरोवर में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से जलापूर्ति की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा, सरोवर से अतिरिक्त पानी को बहाने और जलाशय को निर्मल रखने के लिए दो जल–स्तरों पर आउटलेट का प्रावधान किया गया है।

  इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

- विगत वर्षों में राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जितने भी पर्यटन परिपथ हैं, उन पर मार्गीय सुविधाएँ विकसित की जाए। पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित मुख्य महत्वपूर्ण मार्गों पर

गैर–नियोजित क्षेत्रों के द्वारा संचालित गुणवत्तापूर्ण मार्गीय सुविधाओं, यथा ढाबों/ लाइन होटलों/ मोटलों आदि के उन्नयन और मानकीकरण के लिए प्रोत्साहन नीति, 2020 का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन परिपथों पर मार्गीय सुविधाओं के विकास और उनके उन्नयन तथा मानकीकरण से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी और स्वच्छता के लिए पर्यटक उनका इस्तेमाल करेंगे। इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले सभी ढाबों/लाईन होटलों/मोटलों आदि में शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे देशी एवं विदेशी पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, इस योजना के क्रियान्वयन से खुले में शौच से मुक्ति हो सकेगी, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को काफी मदद मिलेगी।

जल संसाधन विभाग

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुल 300 करोड़ रु. की योजनाओं का हरित बजट तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत मूल रूप से वृहद एवं मध्यम सिंचाई की योजनाएं, बाढ़–सुरक्षा कार्य तथा कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के कार्य किए जाने हैं।

- **बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना–**बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से राज्य में सृजित हो सकने वाली कुल 53.53 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में से मार्च 2019 तक 30.038 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था। वर्ष 2019–20 में कुल 21.481 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। इसके फलस्वरूप मार्च 2020 तक कुल 30.253 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्ष 2020–21 में कुल 103.581 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

  नई सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ–साथ यह आवश्यक है कि पूर्व में सृजित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए। वर्षों पूर्व निर्मित अधिकांश योजनाओं में गाद जमा होने तथा सरंचनाओं और नहर प्रणालियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी सृजित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिल्ट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इन नदियों से निकलने वाली सिंचाई प्रणालियों की सिंचाई क्षमता में और अधिक कमी हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 32.612 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनःस्थापित किया गया है। वर्ष 2020–21 में कुल 141.862 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **बाढ़–सुरक्षा तथा जल निकासी की योजनाएं–** बिहार में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (94.16 लाख हेक्टेयर) का 73.06 प्रतिशत तथा भारत के कुल बाढ़प्रवण क्षेत्रफल (400 लाख हेक्टेयर) का 17.20 प्रतिशत है। विशेष कर, उत्तर बिहार की स्थिति बाढ़ की दृष्टि से अत्यधिक गंभीर है। इसका मूल कारण उत्तर बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, महानंदा आदि नदियों का नेपाल के अत्यधिक ढाल वाले भाग से बिहार राज्य की समतल भूमि में प्रवेश करना है। भारत–नेपाल सीमा के ऊपर इन नदियों का बेड स्लोप काफी अधिक है और बिहार में प्रवेश करने के बाद एकाएक बेड स्लोप में कमी के कारण इसके जल प्रवाह के साथ लाया गया सिल्ट पेटी में जमा हो जाता है।

  बाढ़ की समस्या से निदान के लिए बिहार में अब तक 3,834 कि.मी. तथा नेपाल वाले भाग में 68 कि.मी. तटबंध का निर्माण कराया गया है। तटबंध से बाढ़–सुरक्षा प्रदान करना एक अल्पकालीन योजना है।

दीर्घकालीन योजना के तहत यह आवश्यक है कि नेपाल वाले भाग में इन नदियों पर फ्लड कुशन के साथ जलाशय का निर्माण किया जाए जिससे इन नदियों से लाए जा रहे सिल्ट को रोका जा सके और बाढ़ की अवधि में नदियों में नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ा जा सके।

- **कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम–** यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कराया जाता है। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्य, क्षेत्रगत सिंचाई नाली का निर्माण, 150 क्यूसेक तक की नहर प्रणाली का पुनःस्थापन, कृषकों और कर्मियों का प्रशिक्षण आदि कराए जाते हैं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- मत्स्य क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यावरण अनुकूल है और उसके निम्नलिखित लाभ हैं :

  (1) भूजल का संभरण

  (2) जल संरक्षण

  (3) पारिस्थतिकी तंत्र के संतुलन में सहायता

  मछलीपालकों को मछलीपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें जल संरक्षण तथा उपलब्ध जल के किफायती उपयोग के लिए जागरूकता पैदा की जाती है।

ऊर्जा विभाग

- बारह (12) की संख्या में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष कार्य (सिविल, जल–यांत्रिकी और विद्युत–यांत्रिक) किया जाना है।

- **तेरह (13) कार्यशील जलविद्युत परियोजनाओं के पुनःस्थापन के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन :** सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली, और कोशी नहर प्रणाली में अभी 13 (तेरह) जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 54 मेगावाट है। गंडक नहर प्रणाली और कोशी नहर प्रणाली पर लगी 3 (तीन) जलविद्युत परियोजनाओं के पुनःस्थापन, संचालन और रख–रखाव का काम नई कार्य संचालन एवं अनुरक्षण नीति के तहत अभिकरण को दिया गया है। डेहरी, बारुन जलविद्युत परियोजना से 2020–21 में विद्युत उत्पादन करने के लिए उनको न्यूनतम संभव समय और न्यूनतम खर्च में पुनःस्थापित किया जाना है। डेहरी, बारुन, वाल्मीकिनगर और बीरपुर परियोजनाओं के सभी तेरह विद्युतगृहों और आवासीय भवनों के आहातों की मरम्मत की जानी है।

- **गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन (160 मेगावाट) के लिए उपलब्ध पूर्व–साध्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के अनुसार साध्य स्थलों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संशोधित सर्वेक्षण :** जलविद्युत क्षमता के मूल्यांकन और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिहाज से स्थलों की पहचान के लिए गंडक नदी बेसिन, बूढ़ी गंडक नदी बेसिन, और महानंदा नदी बेसिन का सर्वेक्षण वर्ष 2011–12 में किया गया था। चूंकि सर्वेक्षण आठ वर्ष पहले किया गया था इसलिए उन स्थलों की वर्तमान क्षमता की पुष्टि के लिए पुनर्सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

गंडक

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता
1	बेतिया जलविद्युत परियोजना	80 मेगावाट
2	बगहा जलविद्युत परियोजना	50 मेगावाट

बूढ़ी गंडक नदी

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता
1	रघुनाथपुर जलविद्युत परियोजना	2 मेगावाट
2	बारा गोविंदपुर जल–विद्युत परियोजना	4.4 मेगावाट

- विद्युतगृह भवन, खाली जमीनों, पावर चैनल और टेलरेस चैनल पर 10 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने के लिए पूर्व–साध्यता स्थल सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ग्रामीण विकास विभाग

- **जल–जीवन–हरियाली अभियान :** जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकी संबंधी चुनौतियों से निपटने, जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को बनाए रखने, हरित आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा जलवायु परिवर्त्तन के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के समन्वय से 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के मिशन मोड में क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए जल–जीवन–हरियाली मिशन का गठन किया गया है तथा अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :** मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को सर्वाधिक लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही, रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य राज्यों के लिए होने वाले पलायन को भी रोका जा सके। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम होने के साथ–साथ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलते है। मजदूरी के अलावा निजी भूमि पर वृक्षारोपण से ग्रामीणों की परिसंपत्तियों का सृजन होता है और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाले फल–फूल आदि के उपभोग का अधिकार भी ग्रामीणों को दिया जाता है। भूजल संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मनरेगा के तहत जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं –यथा सार्वजनिक तालाब/पोखर/पइन का जीर्णोद्धार, निजी भूमि पर खेत–पोखर का निर्माण एवं भूजल संभरण हेतु सोख्ता और छत आधरित वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया जाता है। साथ ही, छोटी–छोटी नदियों में उड़ाही का कार्य भी किया जाता है।

- **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :** जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समुचित पोषण की स्थिति में सुधार के लिए बिहार राज्य को ''खुले में शौच से मुक्त'' किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए विकास के सात निश्चयों में से एक है 'शौचालय निर्माण–घर का सम्मान'। इस अभियान के तहत राज्य को ''खुले में शौच से मुक्त'' किए जाने का संकल्प लिया गया है। संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान का लक्ष्य बिना बंधेज बिना विभेद हर घर में शौचालय का निर्माण कराते हुए शत–प्रतिशत परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराना और समुदाय के शौच संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'समुदाय आधरित संपूर्ण स्वच्छता' कार्यक्रम, क्षमतावर्द्धन और सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियों के द्वारा परिवारों और समुदायों को खुद से शौचालय निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया गया है। जैसे, घर–घर जाकर संवाद, समुदाय द्वारा सुबह–शाम निगरानी, रात्रि चौपाल, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सामूहिक चर्चा, दीवार लेखन एवं चित्रण, नुक्कड़ नाटक व लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक माध्यमों, मुद्रित एवं श्रव्य–दृश्य अभियानों जैसे जन–माध्यमों आदि के जरिए जन–भागीदारी बढ़ाई गई। समुदाय के व्यवहार परिवर्तन को चिरस्थायी बनाने और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जागरूक करने की दिशा में राज्य प्रयत्नशील है।

उद्योग विभाग

- माननीय एन.जी.टी. न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 10 सी.ई.टी. पी. का निर्माण किया जाना है। सी.ई.टी.पी. स्थापित करने की जिम्मेवारी बियाडा को दी गई है। सी.ई.टी.पी. की विवरणी निम्नवत है –

  1. फतुहा (जिला–पटना)
  2. हाजीपुर (जिला–वैशाली)
  3. बेला (मुजफ्फरपुर)
  4. बरारी (जिला–भागलपुर)
  5. पाटलीपुत्रा (जिला–पटना)
  6. ग्रोथ सेंटर (जिला–औरंगाबाद)
  7. ग्रोथ सेंटर, गिद्दा।
  8. औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदरपुर, बिहटा।
  9. औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा।
  10. ग्रोथ सेंटर, मरंगा, पूर्णियाँ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन योजनाओं/परियोजनाओं में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। ''हर घर नल का जल'' योजना के प्रारंभिक चरणों से ही ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है जो यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल हों। इसके साथ–साथ योजना स्थल के आस–पास वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ''जल–जीवन–हरियाली'' योजना के अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कुओं और सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्युत उपकरणों/बल्बों को ससमय ऑफ करने की व्यवस्था, एलईडी बल्बों के प्रयोग, यथासंभव एयरकंडीशनर के कम उपयोग और पंखों/ कूलरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना, कार्यालय अवधि में खिड़की के माध्यम से प्राकृतिक रोशनी का उपयोग आदि की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल है।

पथ निर्माण विभाग

- आधारभूत संरचना विकास के मामले खासकर सड़क निर्माण क्षेत्र में बिहार तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य सामाजिक और पर्यावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तीव्र शहरीकरण, मानव वास स्थल में बदलाव को गति दे रहा है, जिससे भूमि उपयोग, जल की गुणवत्ता में ह्रास, जैव विविधता में ह्रास, प्रदूषण में वृद्धि एवं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों में बढ़ोत्तरी हुई है। उच्च जनसंख्या घनत्व और पथ निर्माण के लिए जमीन की बढ़ती मांग ने पर्यावरण जोखिम में वृद्धि की है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. द्वारा पथ निर्माण परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर होनेवाले नकारात्मक प्रभाव रोकने के निम्न उपाय किए गए हैं :–

  i. सड़कों के एलाइन्मेंट को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है कि पेड़ नहीं कटें या कम से कम पेड़ कटें। पेड़ काटने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृति ली जाती है एवं एक पेड़ के बदले दो पेड़ क्षतिपूरक वनारोपण अंतर्गत लगाए जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से अलग हटकर पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है। पेड़ बचाने हेतु डिजाईन में छोटे–मोटे बदलाव भी इस प्रकार से किए जाते हैं कि पर्यावरण संबंधी सौंदर्य पुनः स्थापित हो सके।

  ii. जल निकासी/सिंचाई सुविधाओं को मूल स्थिति में या उससे भी बेहतर स्थिति में पुनःस्थापित किया जाता है। परियोजना से संबंधित निविदा/संविदा दस्तावेजों में वायु, ध्वनि एवं पानी की गुणवत्ता नियंत्रण के उपयुक्त उपाय भी शामिल किए जाते हैं, ताकि वे संबंधित संवेदकों एवं परियोजना कार्यान्वयन ईकाई हेतु बाध्यकारी हो। सड़क निर्माण के दौरान भू–जल सिंचाई गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणालियों एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली का भी विकास किया जाता है।

  iii. परियोजना के दौरान जहां कृषि क्षेत्रों और किसी अन्य उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी की उपरी परत को हटाना हो, वहां 150 मि.मी. गहराई तक की मिट्टी को हटाकर 2 मीटर की अधिसीमा अंतर्गत ढेरों के रूप में जमा किया जाता है। इस उपरी परत को जमा करने हेतु अधिग्रहित क्षेत्र अथवा सड़क के एक हिस्से को चिन्हित किया जाता है। इस मिट्टी का इस्तेमाल अधिग्रहित क्षेत्र अंतर्गत गड्ढों को भरने, अधिग्रहित अस्थायी भूमि को भरने, किसानों के खेतों में कटी मिट्टी से उत्पन्न गड्ढे को भरने में किया जाता है।

iv. भूमि प्रदूषण में कमी हेतु परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित क्षेत्रों/प्रयुक्त क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाता है।

v. पहले से मौजूद जल स्रोतों/जल प्रवाहों को मूल स्थिति अथवा उससे बेहतर स्थिति में पुनःस्थापित किया जाता है। पेयजल उपलब्धता हेतु पहले से मौजूद चापाकलों को अन्यत्र स्थापित किया जाता है। साथ ही पानी की गुणवत्ता की भी जाँच की जाती है।

vi. निर्माण कार्य इस प्रकार से किया जाता है कि प्राकृतिक जल प्रवाह एवं तालाब प्रदूषित न हो। अवशिष्ट जल, निर्माण कार्यों के मलबों का निपटान इस प्रकार से किया जाता है कि वे जल प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के स्रोत न बनें।

vii. सड़क निर्माण क्षेत्र में धूल नहीं उड़ने देने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। क्रशर इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में धूल उड़ने से रोकने हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है।

viii. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों जैसे संवेदनशील स्थानों के आस–पास 'नो हॉर्न' का सूचना–पट्ट लगाया जाता है।

ix. भूमि प्रदूषण एवं आस–पास के जल निकायों/जल प्रवाहों में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु मल–जल निकासी व्यवस्था को उचित तरीके से डिजाइन, निर्मित एवं संचालित किया जाता है। जलीय वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं की सुरक्षा हेतु भी विशेष उपाय किए जाते हैं।

References

1. https://www.oecd.org/environment/cc/Flyer-Paris-Collaborative-on-Green-Budgeting.pdf

2. PSCST-TERI (Punjab State Council for Science and Technology and The Energy and Resources Institute) (2014), Action Plan for Green Budgeting in Punjab: Concepts, Rationale and Ways Forward, Supported by Department of Science, Technology and Environment, Government of Punjab; K.A.P Sinha, Neelima Jerath, Shailly Kedia, Satnam Singh Ladhar, Rinki Jain, and G Ananda Vadivelu (2015), "Action Plan for Green Budgeting in Punjab, India", International Journal on Green Growth and Development, 1(2): 121-124.

3. Report on Green Budget, Karnataka Government, Environmental Management & Policy Research Institute (EMPRI), February 2019.

4. Roy Rathin, Pandey, Rita et al (2017); Pandey, Rita et al (2019); and UNDP (2019).

5. The NAPCC comprises of eight national Missions. These are: 1) National Solar Mission, 2) National Mission for Enhanced Energy Efficiency, 3) National Mission on Sustainable Habitat, 4) National Water Mission, 5) National Mission for Sustaining the Himalayan Eco-system, 6) National Mission for a Green India, 7) National Mission for Sustainable Agriculture and 8) National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. Each national mission works under the purview of a nodal ministry.

6. The Biodiversity Finance Initiative, Mobilizing Resources for Biodiversity and Sustainable Development, BIOFIN workbook, 2016.http://www.biodiversityfinance.net/sites/default/files/content/publications/undp-biofin-web_0.pdf.

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग